फेडबैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

FEDBANK

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 1101, 11वाँ तल, सिगनस, प्लॉट नं. 71ए, पवई, पासपोली, मुंबई–400087

अचल संपत्तियों की नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एतद्द्वारा मैसर्स फेडबैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता) द्वारा अचल प्रत्याभूत परिसंपत्ति की बिक्री का 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है। सरफासी अधिनियम, 2002 के तहत प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) का कब्जा ले लिया है

एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेष रूप से कर्जदारों/सह–कर्जदारों/जमानतियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्याभूत ऋणदाता, फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को बंधक/प्रभारित अचल संपत्ति जिसका फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, श्री अनुराग अग्रवाल (कर्जदार), श्रीमती दीक्षा अग्रवाल (सह–कर्जदार) से फेडबैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रत्याभूत ऋणदाता को देय **दिनांक 11.08.2025 को खाता संख्या FEDAGLLAP0549026 में रु. 30,64,645.69/– (रुपये तीस लाख चौसठ हजार छह सौ पैंतालीस और उनहत्तर पैसा मात्र)** की दिनांक 12.08.2025 से ब्याज और व्ययों की वसूली के लिए "जैसी हैं, जहाँ हैं और जैसी है, जो भी है" आधार पर **दिनांक 04.08.2026 को पूर्वा. 10 से पूर्वा. 10.30 तक बिक्री की जायेगी।**

अचल संपत्ति का विवरण

एक आवासीय फ्लैट नंबर 301, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. बी–33 पर निर्मित बिल्डिंग में, माप 74.32 वर्ग मीटर यानी 800 वर्ग फीट, ओम रेजिडेंसी, शांति नगर, भुड का बाग, मौजा घाटवासन मुस्तकिल, वार्ड हरिपर्वत, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तर की ओरः खुला आसमान, पूर्व की ओरः खुला आसमान, पश्चिम की ओरः खुला आसमान, दक्षिण की ओरः सीढ़ियाँ और रास्ता/फ्लैट नंबर 302

आरक्षित मूल्य (रु. में)	रु. 32,00,000/– (रुपये बत्तीस लाख मात्र)
धरोहर राशि जमा (रु. में) 'फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' के पक्ष में डीडी/पीओ/आरटीजीएस के माध्यम से	रु. 3,20,000/– (रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र)
बोली वृद्धि राशि	रु. 50000/– (रुपये पचास हजार मात्र)
ईएमडी सहित मुहरबंद प्रस्ताव/निविदा के साथ बोलियाँ जमा करने के लिए अंतिम तिथि, समय और स्थान	3 अगस्त, 2026 समय अप. 05:00 तक– फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बिजनेस स्क्वेयर, ऑफिस नं. 302–बी, तीसरी मंजिल, ब्लॉक ई–15/8, संजय पैलेस, आगरा, उ.प्र.–282002
संपत्तियों का निरीक्षण	28 जुलाई, 2026 समय अप. 5 पूर्व तक
सुनिश्चित सफल बोलीकार के लिए स्वीकृत उच्चतम बोली की 25% (ईएमडी सहित) राशि के भुगतान हेतु अंतिम तिथि	भुगतान बोली की पुष्टि होने की तारीख से अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा किया जाना चाहिए।
उच्चतम बोली की शेष 75% राशि के भुगतान हेतु अंतिम तिथि	बोली पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के अंदर

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (FEDFINA), प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट www.fedfina.com पर दिया लिंक और लिंक https://www.fedfina.com/public-notice-for-auction-cum-sale/ देखें। किसी भी पूछताछ, जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और प्रशिक्षण के लिए, कृपया फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री दक्ष क्वात्रा को मोबाइल नं.– 9699999499043, ईमेलः daksh.kwatra@fedfina.com पर संपर्क करें।

दिनांकः 26.06.2026
स्थानः आगरा

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
फेडबैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसएआरसी) (CIN: U67190MH2008 PLC181062) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **रवि कांत दुबे और प्रवीण दुबे** को **10.04.2026** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDMT00443183** की राशि **रू. 8,74,416/- (रूपये आठ लाख चौहत्तर हज़ार चार सौ सोलह मात्र)** और **31.03.2026** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **23.06.2026** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों(ओं) और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 8,74,416/- (रूपये आठ लाख चौहत्तर हज़ार चार सौ सोलह मात्र) 31.03.2026** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

ज़मीन/संपत्ति के सभी भाग और खंड :

फ़्लैट नं. एसएफ-1, एलआईजी, दूसरी मंज़िल, टेरेस के साथ, दाईं ओर सामने की तरफ़, आवासीय प्लॉट नं. एफ-23, फ़्लैट का कुल और कवर्ड एरिया 30.19 स्क्वेर मीटर्स, 9 मीटर्स चौडी सड़क, कार पार्किंग के बिना, एसएलएफ वेद विहार लोनी पर स्थित, गाज़ियाबाद - 201102, उत्तर प्रदेश।

सही/-
दिनांक : 23.06.2026
स्थान : गाज़ियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
आईएसएआरसी-2025-2026-5 ट्रस्ट के ट्रस्टी के के रूप में कार्यरत

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLDMT00280929 1. अंशुल जैन 2. मेघा गुप्ता	फ्लैट नंबर 2203, बाईसवीं मंजिल, टावर ''फ्लोरा'', कुल क्षेत्र 640 वर्ग फीट है, एक खुली पार्किंग जगह के साथ, साझा क्षेत्रों और सुविधाओं में यथानुपात हिस्से के साथ, ''सिक्का किरात ग्रीन्स'' नाम के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, प्लॉट नंबर जीएच–04सी, सेक्टर–10, ग्रेटर नोएडा, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश।	08.08.2024	रु. 5,81,080.43/- (रुपए पांच लाख इक्यासी हजार अस्सी और तैंतालीस पैसे मात्र) 21.05.2026 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLHYD00061900 1. रश्मि माथुर 2. पीयूष माथुर	यूनिट/फ्लैट नंबर बी–104, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 1320 वर्ग फीट है, पहली मंजिल पर, ''जयपुरिया अपार्टमेंट'' नाम के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में, प्लॉट नंबर 14 में आवासीय परिसर, सेक्टर–1, (जीएच–6) क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, एनएच 24, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश–201301, एक कार पार्किंग (खुली) के साथ।	09.07.2024	रु. 32,45,856.66/- (रुपए बत्तीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ छप्पन और छियासठ पैसे मात्र) 22.05.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

स्थान : नोएडा/गाज़ियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
कृते एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एआरसीआईएल ट्रस्ट–2025–015 (''एआरसीआईएल'') के ट्रस्टी

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025, सीआईएन: U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 से ऋण सुविधा प्राप्त की है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपनी क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज सर्व करने में विफल रहे हैं और यह कि उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्जदारों ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की प्रतिभूति प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अब तक के ऋण और बकाया राशि तथा कर्जदारों द्वारा देय राशि का विवरण नीचे उल्लेख किया गया है :

कर्जदार/सह-कर्जदारों के साथ-साथ आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत प्रतिभूत लेनदार शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित कर्जदार इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने इंगित बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति सहित प्रतिभूत लेनदार को प्रदत्त शक्तियों में से किसी एक या उससे अधिक का प्रयोग करेंगे। आम तौर पर जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति का लेन-देन न करें।

कर्जदार/जमानती एवं बंधककर्ता का नाम	प्रतिभूत आस्तियों/संपत्ति- का विवरण
1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह (कर्जदार) ग्राम गढ़ी ताजपुर, नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247551, 2. श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री यशपाल सिंह (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) ग्राम गढ़ी ताजपुर, नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247551 **ऋण खाता संख्या, माँग सूचना की तिथि तथा राशि** ऋण खाता संख्या 102741524644 माँग सूचना की तिथिः 26-06-2026 बकाया राशिः रु. 17,82,000/- (रुपए सत्रह लाख बयासी हजार मात्र) तिथि 25- 06-2026 तक **एनपीए की तिथिः** 03-06-2026	संपत्ति पर इक्विटेबल बंधकः 3670.50 वर्ग फीट, 341 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति का पूरा भाग, , संपत्ति खसरा नंबर 717 में स्थित, खाता नंबर 00091 (फसलि वर्ष 1424-1429), ग्राम ताजपुर, परगना नागल, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247551. श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री यशपाल सिंह के नाम पर सीमाएँः पूर्वः सड़क, पश्चिमः मोनू का प्लॉट, उत्तर सड़क, दक्षिणः श्रीपाल का प्लॉट
1. श्री सनी कौशलक पुत्र श्री देवेन्द्र कौशलक (कर्जदार/बंधककर्ता) मकान नंबर 309, ग्राम गदरहेड़ी, खंड-1, सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247232, 2. श्री सौरभ कौशिक पुत्र श्री देवेन्द्र कौशिक (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) मकान नंबर 308, ग्राम गदरहेड़ी खंड-1, सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247232, 3. श्री महावीर सिंह पुत्र श्री कवर सिंह (बंधककर्ता) निवासी मकान नंबर 352, चौधरियां खंड- 2, सरसावा जिला. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247232, 4. श्री देवेन्द्र कौशिक (बंधककर्ता) मकान नंबर 308, ग्राम गदरहेड़ी खंड-1, सरसावा जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247232, 5. श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री चौहल सिंह (बंधककर्ता) निवासी मकान नंबर 76, ग्राम सलूनी, तहसील नकुड़, सरसावा जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247232 **ऋण खाता संख्या, माँग सूचना की तिथि तथा राशि** ऋण खाता संख्या 101241000961 माँग सूचना की तिथिः 25-06-2026 बकाया राशिः रु. 7,54,000/- (रुपए सात लाख चौव्वन हजार मात्र) तिथि 24-06-2026 तक **एनपीए की तिथिः** 05-06-2026	संपत्ति पर इक्विटेबल बंधकः 1800 वर्ग फीट, 168 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, शास्त्री विहार में स्थित, सरसावा टाउन बरुण हद्द, परगना सरसावा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247232, श्री सनी कौशिक पुत्र श्री देवेन्द्र कौशिक और श्री सौरभ कौशिक पुत्र श्री देवेन्द्र कौशिक के नाम पर सीमाएँः पूर्वः मंगू राम का घर, पश्चिमः सरोज बाला का घर, उत्तरः सड़क 06 फीट चौड़ी, दक्षिणः सड़क 12 फीट चौड़ी

तिथिः 25-06-2026 एवं 26-06-2026 स्थानः नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

फॉर्म नं. INC-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र-1, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के मामले में और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के संबंध में

और

ट्राइडेंट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) के मामले में, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): U70102DL2010PTC202146 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 310, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7 टॉलस्टॉय मार्ग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110001 में स्थित है।

....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत अपने ज्ञापन-पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में संशोधन की पुष्टि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार (केंद्र सरकार) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है। यह संशोधन 25.06.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार किया जा रहा है, जिससे कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित कर सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से जिसका भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके प्रस्तुत कर सकता/सकती है अथवा उन्हें क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 के पते पर व्यक्तिगत रूप से जमा करा सकता/सकती है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता/सकती है। उक्त आपत्तियों की एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी प्रेषित की जानी चाहिए।

आवेदक की ओर से तथा उसके लिए
ट्राइडेंट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

एसडी/-
गौरव कुमार
निदेशक
DIN: 08163817

दिनांक: 26.06.2026
स्थान: दिल्ली

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLGTN00466354 1. राज कुमार गुप्ता प्रोपराइटर गुप्ता साइकिल वर्क्स 2. विम्पी गुप्ता	आवासीय अपार्टमेंट नंबर 3के–0307, तीसरी मंजिल, टावर–3के, जिसका कुल क्षेत्र लगभग 7924 वर्ग मीटर (852.89 वर्ग फीट) है, निर्मित क्षेत्र 61.57 वर्ग मीटर और कारपेट क्षेत्र 45.89 वर्ग मीटर है, एक पार्किंग स्थान और साझा क्षेत्रों एवं सुविधाओं में आनुपातिक हिस्से के साथ, ''निलाया ग्रीन्स'' नाम के प्रोजेक्ट में, जो खसरा नंबर 1015, 1023/1, 1023/2, 1023 में स्थित है, गांव मोरटा, राजनगर एक्सटेंशन, एनएच–58, गाज़ियाबाद–201010, उत्तर प्रदेश।	08.05.2023	रु. 25,95,100.18/- (रुपए पच्चीस लाख पंचानवे हजार एक सौ और अठारह पैसे मात्र) 21.05.2026 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00257701 1. शक्ति शरण मिश्रा 2. सुमन कुमारी 3. बैदेही शरण मिश्रा	आवासीय फ्लैट नंबर एसएफ–01, दूसरी मंजिल, सामने का हिस्सा, छत के अधिकारों के साथ, एमआईजी, जिसका कुल कवर्ड क्षेत्र 700 वर्ग फीट है, आवासीय प्लॉट नंबर एम एम–66 में स्थित है, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव– सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील और जिला गाज़ियाबाद–201102, उत्तर प्रदेश।	10.10.2022	रु. 15,69,362.73/- (रुपए पंद्रह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ बासठ और तिहत्तर पैसे मात्र) 21.05.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

स्थान : गाज़ियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
कृते एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एआरसीआईएल ट्रस्ट–2025-007 (''एआरसीआईएल'') के ट्रस्टी

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय: ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा 'ए' क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560095 • क्षेत्रीय कार्यालय:- जीएमटीटी बिल्डिंग, प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (उ.प्र.) - 201301
शाखा कार्यालय:- ग्राउंड फ्लोर, ए-3, मोहन गार्डन, मुख्य नजफगढ़ रोड, मेट्रो पिलर नंबर 752 के सामने, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059
शाखा कार्यालय:- ग्राउंड फ्लोर, नगर निगम नंबर 03/311, श्री रामधारी प्लाजा, बनवारी नगर, निरंजनपुरी, तहसील कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी **"जहाँ है जैसा है"** तथा **"जो है वही है"** के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह- कर्जदार /गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस एवं मांग राशि	सांकेतिक/भौतिक कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) भारतीय रुपये में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाते का विवरण
1.	224076300000032	(1) सतबीर उर्फ सतवीर पुत्र हरि सिंह, एस-137/25, टी-हट्स (झुग्गी), किदवई नगर पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली - 110023 (2) प्रेमो पत्नी सतबीर उर्फ सतवीर137/25, टी- हट्स, किदवई नगर पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली -110023	15.07.2025 रु. 7,59,692/-	15.05.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 8,39,220.33/- (तिथि 23.06.2026)	31.07.2026 को 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 9,38,000/-	रु. 93,800/-	07.08.2026 को 11:00 बजे पूर्व. से 12:00 बजे अप.	06.08.2026 को 4:00 बजे अप. तक	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में उत्तम नगर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता नं. 2201101346200‌1 आईएफएससी UJVN0002201 पर भेजी जानी चाहिए। सम्पर्क व्यक्ति : (1) अमन लाकड़ा - मोबाइल : 8397993497; (2) सौरव सरदाना, मोबाइल : 9056762855
		फ्रीहोल्ड आवासीय यूनिट (संख्या जी-6, अपर ग्राउंड फ्लोर, पश्चिम की ओर) का पूरा हिस्सा, जिसमें छत/टेरेस के अधिकार शामिल नहीं हैं। यह यूनिट खसरा नंबर 474/1 के तहत 50 वर्ग गज के प्लॉट पर बनी है, जो गांव मुंडका, नई दिल्ली के विस्तारित लाल डोरा आबादी क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः फ्लैट नंबर 7; पश्चिमः फ्लैट नंबर 5/सड़क; उत्तरः अन्य संपत्ति; दक्षिणः प्लॉट नंबर 474.									
2.	226921009000037	(1) वीएस एंटरप्राइजेज, इसके मालिक के माध्यम से – दीपक यादव पुत्र नारायण सिंह उर्फ नारायण, मकान नंबर 528, असदपुर क्याम, देवी नगला, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 (2) दीपक यादव पुत्र नारायण सिंह उर्फ नारायण, मकान नंबर 528, असदपुर क्याम, देवी नगला, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 (3) वर्षा यादव पत्नी दीपक यादव, मकान नंबर 528, असदपुरक्याम, देवी नगला, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 (4) मुन्नी देवी पत्नी नारायण सिंह उर्फ नारायण, मकान नंबर 528, असदपुरक्याम, देवी नगला, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001। इसके अलावाः- मुन्नी देवी पत्नी नारायण सिंह उर्फ नारायण, घर जय मां सेवा सदन के पास, बाईपास रोड, नगला देवी, परगना और तहसी ककोइल, जिला अलीगढ, उत्तर प्रदेश-202001	27.10.2025 रु. 26,46,840/-	20.05.2026 (भौतिक कब्जा)	रु. 30,95,580.88/- (तिथि 23.06.2026)	31.07.2026 को 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 54,10,000/-	रु. 5,41,000/-	07.08.2026 को 11:00 बजे पूर्व. से 12:00 बजे अप.	06.08.2026 को 4:00 बजे अप. तक	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में अलीगढ़ शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता नं. 2201101346200‌1 आईएफएससी UJVN0002201 पर भेजी जानी चाहिए। सम्पर्क व्यक्ति : (1) पार्थ - मोबाइल : 7040703004; (2) तन्मय वर्मा, मोबाइल : 7081557790
		450 वर्ग गज (यानी 376.24 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली आवासीय सम्पत्ति का पूरा हिस्सा, जो खाता नंबर 542 का भाग है और नगला देवी, परगना व तहसील कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः ओमवीर का प्लॉट; पश्चिमः पांडाजी का प्लॉट; उत्तरः सड़क; दक्षिणः नत्थू और महेंद्र का प्लॉट।									
3.	226921009000042 तथा 226921886000009 तथा 226921009000014	(1) मेसर्स सत्यम ट्रेडर्स, प्रो. कपिल अग्रवाल, खैररोड, इंदिरा नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001. इसके अलावाः- 5/4- बी, अशोक नगर, सामने रिलायंस टावर, गूलर रोड, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 (2) कपिल अग्रवाल पुत्र सत्य प्रकाश अग्रवाल, 5/4- बी, अशोक नगर, सामने। रिलायंस टावर, गूलर रोड, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001 (3) उमा अग्रवाल पत्नी कपिल अग्रवाल, 5/4-बी, अशोक नगर, सामने रिलायंस टावर, गूलर रोड, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001.	10.2.2023 & 13.02.2023 रु. 70,07,892.65/-	27.03.2025 (भौतिक कब्जा)	रु. 1,19,29,711/- (तिथि 30.05.2026)	10.07.2026 को 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 30,00,000/-	रु. 3,00,000/-	17.07.2026 को 11:00 बजे पूर्व. से 12:00 बजे अप.	16.07.2026 को 4:00 बजे अप. तक	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में अलीगढ़ शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता नं. 2201101346200‌1 आईएफएससी UJVN0002201 पर भेजी जानी चाहिए। सम्पर्क व्यक्ति : (1) पार्थ - मोबाइल : 7040703004; (2) तन्मय वर्मा, मोबाइल : 7081557790
		नगर निगम नंबर 5/4बी वाली आवासीय सम्पत्ति का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 275.00 वर्ग गज (यानी 230.00 वर्ग मीटर) है और जो निरंजन पुरी, तहसील कोइल, जिला अलीगढ़ में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः महेश चंद्र की संपत्ति; पश्चिमः लाजपत राय वार्ष्णेय की संपत्ति; उत्तरः 20 फीट चौड़ी सड़क; दक्षिणः श्रीमती शांति देवी और श्रीमती किरण देवी की संपत्ति। नोटः- डीआरटी इलाहाबाद के समक्ष 'जयंती यादव बनाम यूएसएफबी' शीर्षक वाला एक मुकदमा (एसए/261/2025) विचाराधीन है और बिक्री इस मुकदमे (एसए) के परिणाम के अधीन होगी।									

नियम एवं शर्तें:- ई-नीलामी **"जहाँ है जैसे है"** तथा **"जो है वही है"** तथा **"जो कुछ भी है वही है"** के आधार पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति पर होने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली लगाने से पहले संपत्ति और विनिर्देश का निरीक्षण करना और खुद को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित स्थलों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. ई-नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता - मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति - प्रभाकरन एम. (मोबाइल नंबर 7418281709)। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर संपत्तियों के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com** या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाएँ तथा बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर - 7291918824,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडीः- **support@bankeauctions.com**, नीलामी पोर्टल - **https://www.bankeauctions.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले/प्रस्तावित व्यक्ति को बेची जाएगी, बशर्ते कि प्रतिभूत लेनदार, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो अधोहस्ताक्षरी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा, जिसमें पहले से भुगतान की गई ईएमडी समायोजित की जाएगी तथा बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या किसी भी मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत 3 महीने से अधिक नहीं, की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्तावी द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा डिफॉल्टर क्रेता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी अनुसूची के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

दिनांकः 25.06.2026, स्थानः: दिल्ली (रा.रा.क्षे.)/अलीगढ़ (उ.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था**) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सुनील कुमार और श्रुति माधुरी** को **10.04.2026** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLJKS00531353 और HHEJKS00531348** की राशि **रू. 38,63,492.24 (रूपये अड़तीस लाख तिरसठ हज़ार चार सौ बानवे और चौबीस पैसे मात्र)** (ऋण सुविधा नं. **1** के विरुद्ध) और **रू. 1,39,988.44 (रुपये एक लाख उनतालीस हज़ार नौ सौ अठासी और चौवालीस पैसे मात्र)** (ऋण सुविधा नं. **2** के विरुद्ध) जिनकी कुल बकाया राशि **रू. 40,03,480.68 (रुपये चालीस लाख तीन हज़ार चार सौ अस्सी और अड़सठ पैसे मात्र)** (ऋण सुविधा न. **1 और 2** के विरुद्ध) और **09.04.2026** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **23.06.2026** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 38,63,492.24 (रूपये अड़तीस लाख तिरसठ हज़ार चार सौ बानवे और चौबीस पैसे मात्र)** (ऋण सुविधा नं. **1** के विरुद्ध) और **रू. 1,39,988.44 (रुपये एक लाख उनतालीस हज़ार नौ सौ अठासी और चौवालीस पैसे मात्र)** (ऋण सुविधा नं. **2** के विरुद्ध) जिनकी कुल बकाया राशि **रू. 40,03,480.68 (रुपये चालीस लाख तीन हज़ार चार सौ अस्सी और अड़सठ पैसे मात्र)** (ऋण सुविधा न. **1 और 2** के विरुद्ध) **09.04.2026** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड** (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता** था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

निर्मित संपत्ति एफ-92 के वे सभी हिस्से या भूखंड, तीसरी मंज़िल का सामने वाला हिस्सा (तीसरी मंज़िल), छत/टेरेस के अधिकारों (दक्षिणी हिस्सा) के साथ, निर्मित संपत्ति जिसका नं. 92 का, ब्लॉक-एफ (एफ-92) में, ज़मीन का क्षेत्रफल 90 स्क्वे. गज, कुल 200 स्क्वे. गज ज़मीन के एरिया में से, खसरा नं.10/21 में से, गाँव असलातपुर खादर के इलाके में स्थित, जीवन पार्क के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059, भूतल पर साझा क्षेत्र में एक छोटी कार पार्किंग की जगह, कार्य क्रम में पानी, बिजली और सीवर कनेक्शन के साथ सुसज्जित, सीढ़ियों, लिफ्ट, मुख्य द्वार, रास्ते और भवन की अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के साझा अधिकारों के साथ, उक्त भूमि के अंतर्गत अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:

पूर्व : अन्य संपत्ति | पश्चिम : अन्य संपत्ति
उत्तर : पीछे की ओर यूनिट /10 फ़ीट गली | दक्षिण : (प्रवेश) 20 फ़ीट की सड़क

सही/-
दिनांक : 23.06.2026
स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)